

Structure of the WTO DSS

- Dispute Settlement Body (DSB)
- Panel and Appellate Body
- Parties: WTO Members
- WTO Secretariat

Ministerial Conference

Dispute Settlement Body (General Council)

Request for Panel by WTO Member

Appellate Body

Panel

संबंधित मुद्दे:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक:
 - वर्ष 2017 में उनकी कार्य अवधि समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दिया। परणामस्वरूप दिसंबर 2019 में न्यायालयों में न्यायाधीशों की आवश्यक न्यूनतम संख्या तीन से भी नीचे गिर गई।
 - यह मानता है कि विश्व व्यापार संगठन इसके खिलाफ पक्षपाती है और "अनुचित" होने के कारण इसकी आलोचना की गई।
 - अपील की अध्यक्षता करने के लिये कम-से-कम तीन न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है और यदि दो सेवानवृत्त न्यायाधीशों के स्थान पर नए सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जाता है, तो निकाय प्रसंगिक नहीं रह जाएगा।
- सीमाति दक्षता:
 - वर्ष 1995 में इसके गठन के बाद से 600 से अधिक मामले निकाय तक पहुँचे जबकिलगभग 350 में फैसले जारी किये गए।
 - इसने यह भी आरोप लगाया है कि AB 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर नरिणय जारी करने में विफल रही है।
- कुछ प्रावधान असंगत हैं:
 - काउंटरवेलगि और एंटी-डंपगि उपायों को लागू करने के लिये कई यू.एस. प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौतों के मुख्य प्रावधानों के साथ असंगत पाए गए हैं।

नहितार्थ:

- अपीलीय निकाय के नए आवेदनों की समीक्षा करने में असमर्थ होने के कारण विश्व व्यापार संगठन की विवाद नपिटान प्रक्रिया को लेकर पहले ही काफी अनिश्चिता का स्थिति है।
- यदि निकाय को गैर-कार्यात्मक घोषित किया जाता है, तो देशों को पैनल के फैसलों को लागू करने के लिये मजबूर किया जा सकता है, भले ही उन्हें लगता है कि इसमें बड़ी त्रुटियाँ हैं।
- देश इस आधार पर पैनल के आदेश का पालन करने से इनकार कर सकते हैं कि उनके पास अपील के लिये कोई रास्ता नहीं है। यह विवाद में दूसरे पक्ष द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही का सामना करने का जोखिम बढ़ाएगा।
- यह भारत के लिये भी शुभ संकेत नहीं है, जो विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर विवाद के मामलों की बढ़ती संख्या का सामना कर रहा है।
- अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे के समग्र रूप से कमजोर होने से वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद से बचने के दो दशकों के प्रयासों को पूर्ववत होने का जोखिम हो सकता है।

विश्व व्यापार संगठन में भारत को शामिल करने संबंधी विवाद:

- जनि विवादों में भारत एक शिकायतकर्त्ता पक्ष है, वे हैं- भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिस्तुलनकारी शुल्क; गैर-आप्रवासी वीजा के संबंध में अमेरिका द्वारा उपाय; अमेरिका के अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा स्टील एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क।
- विश्व व्यापार संगठन के विवाद में जहाँ भारत एक प्रतिवादी पक्ष है, में अमेरिका द्वारा दायर किये गए पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध तथा यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान द्वारा दायर कुछ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सामानों पर आयात शुल्क शामिल हैं।

- जनवरी 2022 में भारत ने वशिव व्यापार संगठन के व्यापार वविाद नपिटान पैनल के एक फैसले के खलिाफ अपील की, जसिने फैसला सुनाया क चीनी और गन्ने के लयि देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्वकि व्यापार मानदंडों के साथ असंगत हैं ।

आगे की राह

■ नए सदस्य हेतु समर्थन प्रस्ताव:

- आमतौर पर अपीलीय नकियाय में नई नयुिकृतयिों वशिव व्यापार संगठन के सदस्यों की सहमतसे की जाती हैं, लेकनि जहाँ आम सहमतसंभव नहीं है, वहाँ मतदान का प्रावधान भी है ।
- भारत सहति 17 सबसे कम वकिसति और वकिसशील देशों का समूह, जो अपीलीय नकियाय में गतरिोध को समाप्त करने हेतु एक साथ काम करने के लयि प्रतबिद्ध हैं, इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसका समर्थन कर सकते हैं और बहुमत से अपीलीय नकियाय में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं ।
- लेकनि यह अंतिम उपाय के रूप में एक वकिल्प हो सकता है, क्योंकि सभी देशों को अमेरिका द्वारा सीधे अपने वीटो का वरिोध करने के परिणामस्वरूप एकतरफा पहल का डर है ।

■ कानून तोड़ने पर उपयुक्त सज़ा:

- अगर कसिी देश ने कुछ गलत कयिा है, तो उसे अपनी गलती को तेज़ी से सुधारना चाहयि और अगर यह समझौते को खंडन करना जारी रखता है, तो उसे मुआवज़े की पेशकश करनी होगी या उपयुक्त प्रतिकरयिा का सामना करना पड़ेगा, हालाँकि यह वास्तव में सज़ा नहीं है, यह एक "उपाय" है, जसिका पालन करना देश के लयि अंतिम लक्ष्य है ।

■ सुधारात्मक दृष्टिकोण:

- सुधारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर स्थायी दीर्घकालकि समाधानों में नविरतमान सदस्यों के लयि संक्रमणकालीन नयिम शामिल हैं, जो उन्हें अपनी शर्तों की समाप्तके बाद भी लंबति अपीलों को पूरी तरह से नपिटाने की अनुमतदिता है, साथ ही अपीलीय नकियाय की व्याख्या को नीतगित कदम उठाए बना सहमतिवाले राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ तक सीमति कर दयिा जाता है, ताकि राष्ट्रों की संप्रभुता को संरक्षति कयिा जा सके ।

■ सदस्यों की नयिमति बैठक:

- अन्य दीर्घकालकि समाधानों में प्रभावी संचार और तत्काल नविराण तंत्र सुनश्चिति करने के लयि अपीलीय नकियाय के साथ वशिव व्यापार संगठन के सदस्यों की नयिमति बैठकें शामिल हैं ।
- इस प्रकार सभी राष्ट्रों को संकट से नपिटने के लयि एक समान आधार हेतु एक साथ आना चाहयि ताकि सबसे खराब स्थति का सामना न करना पड़े ।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wto-appellate-body>